भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3591
दिनांक 02 अप्रैल, 2025 / 12 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

"भारतपोल" पोर्टल

3591# श्री दीपक प्रकाशः

श्रीमती धर्मशीला गुप्ताः

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः

श्री केसरीदेवसिंह झालाः

श्रीमती रेखा शर्माः

श्री मदन राठौड़ः

श्री नरहरी अमीनः

श्री बृज लालः

श्रीमती दर्शना सिंहः

श्री बाबू राम निषादः

श्रीमती माया नारोलियाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "भारतपोल" पॉर्टल के माध्यम से राज्य और केंद्र की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग में सुधार करने के लिए "भारतपोल" पोर्टल की प्रभावशीलता की निगरानी और उसका मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जिला और स्थानीय स्तर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां "भारतपोल" पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें, इसके लिए कौन-कौन सी पहल की जा रही हैं ?

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3591, दिनांक 02.04.2025

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): BHARATPOL पोर्टल का शुभारंभ भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 07.01.2025 को किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से INTERPOL नोटिसों के प्रकाशन और आपराधिक मामलों में सहायता के लिए राज्य/केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त किया जा रहे है तथा सदस्य देशों से INTERPOL चैनलों के माध्यम से प्राप्त सहायता अनुरोधों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ब्रॉडकास्ट मॉडयूल के माध्यम से भेजा जा रहा है। सभी राज्य/केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के INTERPOL संपर्क अधिकारी (ILO) CBI से जुड़े हुए हैं और सभी राज्य/केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के यूनिट अधिकारी (UO) अपने संबंधित ILO के माध्यम से BHARATPOL पोर्टल के कनेक्ट मॉडयूल के द्वारा जुड़े हुए हैं। ILO के लॉगिन क्रेडेंशियल CBI द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

BHARATPOL पोर्टल ने INTERPOL नोटिसों के प्रकाशन और आपराधिक मामलों में सहायता के अनुरोधों को सुव्यवस्थित किया है, क्योंकि इस प्रकार के सभी अनुरोध INTERPOL नोटिस मॉडयूल और INTERPOL संदर्भ मॉडयूल के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। INTERPOL से संबंधित अभिलेख, आवश्यक दस्तावेज और क्षमता निर्माण संसाधन BHARATPOL पोर्टल के संसाधन मॉडयूल में अपलोड किए गए हैं, जिन्हें सभी INTERPOL संपर्क अधिकारी (ILO) और यूनिट अधिकारी (UO) एक्सेस कर सकते हैं।

जिला और स्थानीय स्तर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को BHARATPOL पोर्टल के कनेक्ट मॉडयूल के माध्यम से एकीकृत किया गया है, जिसके द्वारा वे अपने INTERPOL संपर्क अधिकारी (ILO) के माध्यम से INTERPOL नोटिसों के प्रकाशन और अपराधिक मामलों में सहायता के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।

CBI की INTERPOL शाखा (IPCU) भारतपोल पोर्टल से संबंधित सभी ILO/UO को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। BHARATPOL पर प्रशिक्षण का आयोजन 07.01.2025 को इसके लॉन्च के दिन CBI मुख्यालय में

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3591, दिनांक 02.04.2025

किया गया था। इसके बाद, आंध्र प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, त्रिपुरा पुलिस, तेलंगाना पुलिस, पंजाब पुलिस और असम पुलिस को ऑनलाइन मोड में व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, CBI अकादमी ने 03.03.2025 को सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए INTERPOL, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और BHARATPOL के उपयोग पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ।
